UKPI020010782025

Presented on : 22-05-2025
Registered on : 22-05-2025
Decided on : 12-08-2026
Duration : 1 year 2 months 21 days

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़।
उपस्थित– सुमन, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा।
फौजदारी वाद संख्या–659/2025
CNR No.- UKPI020010782025

मु0अ0सं0–111/2024
अंतर्गत धारा–115(2), 351(2), 352
भारतीय न्याय संहिता, 2023
थाना कोतवाली पिथौरागढ़।

वादी	उत्तराखण्ड राज्य
द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री रितेश वर्मा, सहायक लोक अभियोजक
बनाम	
अभियुक्त	1. दीपक मेहता पुत्र बसन्त सिंह मेहता, निवासी– सेरी, पो0 गुरना थाना कोतवाली पिथौरागढ। 2. हरीश सिंह पुत्र केशर सिंह, निवासी– तल्ला भैसकोट, थाना कोतवाली पिथौरागढ।
द्वारा प्रतिनिधित्व	विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश पांगती

अपराध की दिनांक	03.07.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	03.07.2024
आरोप पत्र की दिनांक	22.05.2025
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	31.07.2025
साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	09.09.2025
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	30.07.2026
निर्णय की दिनांक	12.08.2026
सजा के आदेश की तिथि, यदि कोई हो	12.08.2026

<u>अभियुक्तगण का विवरण</u>

अभियुक्त की संख्या	अभियुक्त का नाम	आत्मसमर्पण / गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहाई का दिनांक	आरोप अंतर्गत धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	उदघोषित सजा	विचारण के दौरान जेल में बितायी गयी अवधि
1.	दीपक मेहता	12.06.2025	12.06. 2025	115(2), 351(2),	दोषसिद्ध	अभियुक्त दीपक मेहता को धारा–115(2) बी0एन0एस0 के आरोप में 06	

(सुमन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़।

				352 भारतीय न्याय		माह के साधारण कारावास की सजा एवम् मु0. 5000/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित।	
1.	हरीश सिंह	12.06.2025	12.06. 2025	संहिता, 2026	दोषसिद्ध	अभियुक्त हरीश सिंह को धारा–115(2) बी0एन0एस0 के आरोप में 06 माह के साधारण कारावास की सजा एवम् मु0. 5000/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित।	

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक 12.08.2026</u>

थाना कोतवाली, पिथौरागढ़ के विवेचक द्वारा अभियुक्तगण दीपक मेहता व हरीश सिंह के विरूद्ध धारा–115(2), 351(2), 352 भारतीय न्याय संहिता, 2023 (जिसे एत्स्मिनपश्चात् संक्षेप में **'बी0एन0एस0'** कहा जायेगा।) के अधीन प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त का विचारण किया गया।

2. संक्षिप्त अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.07.2025 को समय 12:30 बजे मैं अपने तडीगॉव मार्ग निकट सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय पिथौरागढ स्थित अपने प्रतिष्ठान में उपस्थित था। अचानक 14 से 15 अज्ञात व्यक्ति जिनके द्वारा स्वयं को चोला मण्डलम कम्पनी का कर्मचारी बताया जा रहा था, बिना किसी कारण मुझ पर गाली गलौच व अन्धा धुन्ध मारपीट शुरू कर दी जिससे की मैं गंभीर रूप से चोटिल हो गया। साथ ही मेरे चेहरे तथा शरीर पर चोट आयी है मेरे बडे भाई के बचाने हेतु बीच बचाव करने पर हम दोनों को ही पुनः मारने व जान से मारने की धमकी दी गयी है। मैं किसी प्रकार उन व्यक्तियों से जान बचाकर भागा। वादी मुकदमा पवन पुनेठा की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली, पिथौरागढ़ में मु0अ0सं0 111/2024, अन्तर्गत धारा–115(2), 191(2),351(2), 352 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया और मामले के विवेचक द्वारा उक्त मामले में विवेचना के दौरान साक्षियों के बयान अंकित कर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तगण दीपक मेहता व हरीश सिंह के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–115(2), 351(2), 352 बी0एन0एस0 प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्तगण दीपक मेहता व हरीश सिंह के विरूद्ध धारा–115(2), 351(2), 352 बी0एन0एस0 के अपराध का संज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को जमानत प्रदान की गई। अभियुक्तगण को धारा 230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु पर्याप्त आधार होने पर अभियुक्तगण दीपक मेहता व हरीश सिंह के विरूद्ध धारा–115(2), 351(2), 352 बी0एन0एस0 का आरोप विरचित

किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने दोषी होने का अभिवचन करने से इंकार किया और विचारण की माँग की।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न साक्षी परीक्षित कराये गये–

साक्षी कमांक	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी0डब्ल्यू–1	पवन कुमार पुनेठा	वादी मुकदमा/पीडित
पी0डब्ल्यू–2	विकेश पुनेठा	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/पीडित
पी0डब्ल्यू–3	है0का0 बलवन्त सिंह	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
पी0डब्ल्यू–4	डॉ0 देवेन्द्र सिंह महर	चिकित्सकीय साक्षी
पी0डब्ल्यू–5	ए0एस0आई0 मो0 कासिम सिददकी	विवेचक
पी0डब्ल्यू–6	त्रिभुवन चन्द्र भटट	तथ्य का साक्षी
पी0डब्ल्यू–7	रोहित सिंह खडायत	तथ्य का साक्षी
पी0डब्ल्यू–8	अजीम परवेज	तथ्य का साक्षी

5. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित प्रपत्र दाखिल किये गये –

प्रदर्श कमांक	**प्रदर्श का विवरण**	**प्रमाणित किया**
प्रदर्श पी–1	तहरीर	पी0डब्ल्यू–1
प्रदर्श पी–2	फर्द	पी0डब्ल्यू–2
प्रदर्श पी–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0डब्ल्यू–3
प्रदर्श पी–4	जी0डी0 संख्या 65	पी0डब्ल्यू–3
प्रदर्श पी–5	मेडिकल रिपोर्ट	पी0डब्ल्यू–4
प्रदर्श पी–6	सप्लीमेंट्री रिपोर्ट	पी0डब्ल्यू–4
प्रदर्श पी–7	नक्शा नजरी	पी0डब्ल्यू–5
प्रदर्श पी–8	फर्द	पी0डब्ल्यू–5
प्रदर्श पी–9	नमूना मोहर	पी0डब्ल्यू–5
प्रदर्श पी–10	आरोप पत्र	पी0डब्ल्यू–5

6. अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नवत् वस्तुओं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके साबित कराया गया–

वस्तु प्रदर्श संख्या	**विवरण**	**प्रमाणित किया**
वस्तु प्रदर्श एम0ओ0–1	पैन ड्राइव सैनडिस्क	पी0डब्लू0–2
वस्तु प्रदर्श एम0ओ0–2	सफेद लिफाफा	पी0डब्लू0–2
वस्तु प्रदर्श एम0ओ0–3	मोबाइल	पी0डब्लू0–2

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–351

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अंकित किये गये जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये यह द्वारा कथन किया कि पवन पुनेठा को शराब पीकर गिरने से चोटे आयी, हमने यह ए0आर0टी0ओ0 ऑफिस से देखा था, हमने मारपीट नहीं की, झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है हमारे खिलाफ मनगढन्त एवं झूठा मुकदमा दायर किया गया है तथा स्वयं को निर्दोष होना बताया गया तथा बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया गया।

8. मेरे द्वारा विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री रितेश वर्मा एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश पांगती के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया गया।

9. अभियोजन/राज्य द्वारा योजित किसी भी अभियोग में अभियोजन की सफलता उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अभियोजन की सफलता हेतु निर्विवादित रुप से अभियोजन साक्ष्य की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता का स्तर ऐसा होना चाहिए कि वह अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप को संदेह से परे साबित करने में सफल हो। इस न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियोजन का वृतान्त युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित होता है या नहीं?

10. प्रस्तुत मामले में बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षीगण के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। वादी मुकदमा द्वारा सुनियोजित तरीके से तहरीर तैयार कर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामला संदेहास्पद है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

11. न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि **क्या दिनांक 01.07.2024 को समय लगभग 12:30 बजे दिन, स्थान तडीगांव मार्ग निकट सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पिथौरागढ अन्तर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र पिथौरागढ स्थित वादी मुकदमा पवन पुनेठा के प्रतिष्ठान में अभियुक्तगण द्वारा पवन पुनेठा के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी तथा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गयी ?**

12. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में कुल 08 साक्षी परीक्षित कराये गये है। जिसमें पी0डब्लू0–1 पवन कुमार पुनेठा मामले में वादी मुकदमा/पीडित है। उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का मुख्यपरीक्षा में पूर्ण समर्थन करते हुए घटना की तहरीर को प्रदर्श पी–1 के रूप में साबित किया गया है।

पी0डब्लू0—2 विकेश पुनेठा मामले का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उक्त साक्षी द्वारा फर्द को प्रदर्श पी—2 तथा बरामदगी से वीडियोग्राफी की पैन ड्राईव को वस्तु प्रदर्श MO-1 एवं मोबाइल को वस्तु प्रदर्श MO-3 के रूप में साबित किया गया है। पी0डब्लू0—3 है0का0 98 सी0पी0 बलवन्त सिंह द्वारा तहरीर को पंजीकृत कर मूल एफ0आई0आर0 चिक को टंकित कर प्रदर्श पी—3 एवं मुकदमे का खुलाशा जी0डी संख्या 46 कर प्रदर्श पी—4 के रूप में साबित किया गया। पी0डब्लू0—4 डॉ0 देवेन्द्र सिंह महर द्वारा वादी मुकदमा पवन कुमार पुनेठा का चिकित्सीय परीक्षण करते हुए चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श पी—5 तथा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को प्रदर्श पी—6 के रूप में साबित किया गया है। पी0डब्लू0—5 ए0एस0आई मो0 कासिम सिद्दकी मामले में विवेचक है जिसके द्वारा मामले में नक्शा नजरी घटनास्थल, फर्द बरामदगी, नमूना मोहर, आरोप पत्र तैयार किये गये है, नक्शा नजरी को प्रदर्श पी—7, फर्द बरामदगी को प्रदर्श पी—8, नमूना मोहर को प्रदर्श पी—9 एवं आरोप पत्र को प्रदर्श पी—10 के रूप में साबित किया गया है। पी0डब्लू0—6 त्रिभुवन चन्द्र भटट एवं पी0डब्लू0—7 रोहित सिंह खडायत द्वारा अपने साक्ष्य में पैन ड्राईव वस्तु प्रदर्श MO-1 के अवलोकन उपरान्त तथाकथित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता को साबित किया गया है। इसी क्रम में पी0डब्लू0—8 अजीम परवेज उर्फ बंटी तथाकथित घटना के अनुश्रुत साक्षी है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पी0डब्लू0—8 अजीम परवेज द्वारा तथाकथित घटना को घटित होते हुए नहीं देखा गया है, उक्त साक्षीगण मात्र सुनी सुनाई बातों के आधार पर बयान दे रहे हैं। इस प्रकार साक्षी संख्या—8 के बयान अभियोजन हेतु विशेष लाभप्रद नहीं है। अतः वादी मुकदमा पी0डब्लू0—1 पवन कुमार पुनेठा व पी0डब्लू0—2 विकेश कुमार पुनेठा जो कि स्वंय पीडित हैं एवं तथाकथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। इस प्रकार उक्त के बयान मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

13. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 115(2) बी0एन0एस0, 2023 के तहत आरोप विरचित किया गया है। इस सम्बन्ध में बी0एन0एस0 की धारा 115(2) प्रावधानित करती है किः—

> **<u>115. स्वेच्छया उपहति कारित करना —</u> (2) जो कोई धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन उपबन्धित मामले के सिवाय स्वेच्छया उपहति कारित करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो दस हजार तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।**

14. उक्त धारा में उल्लिखित शब्द ''उपहति'' को बी0एन0एस0 की धारा 114 में परिभाषित किया गया है। **धारा 114 बी0एन0एस0** यह प्राविधान करता है कि—

जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग–शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है।

15. बी0एन0एस0 की धारा 114 के अनुसार साधारण शब्दों में ''उपहति'' का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चोंट पहुॅचाना या शारीरिक पीड़ा या अंग दुर्बलता पहुॅचाना है, अर्थात उपहति के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को पहुॅचायी गयी पीड़ा शारीरिक होनी चाहिये, जिसका कोई प्रत्यक्ष परिणाम हो।

16. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 03.07.2024 को समय लगभग 12:30 बजे दिन, स्थान तडीगांव मार्ग निकट सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पिथौरागढ अन्तर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र पिथौरागढ स्थित वादी मुकदमा पवन पुनेठा के प्रतिष्ठान में अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई।

17. पी0डब्ल्यु0–1 पीडित को कारित उपहति को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा चिकित्सीय साक्षी पी0डब्ल्यु0–4 डॉ0 देवेन्द्र सिंह महर को परीक्षित कराया गया है। जिनके द्वारा दिनांक 01.07.2024 को समय 02:25 पी0एम0 पर पीडित को चिकित्सकीय उपचार प्रदान किया गया तथा पीडित की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श पी–5 एवं सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को प्रदर्श पी–6 के रूप में साबित किया गया है। उक्त चिकित्सीय साक्षी के बयानों एवं चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श पी–5 एवं सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को प्रदर्श पी–6 के आलोक में विदित है कि पीडित का घटना के तिथि को समय 02:25 पी0एम0 पर चिकित्सकीय परीक्षण किया गया तथा चिकित्सा परीक्षा में पीडित/पी0डब्ल्यु0–1 को उक्त साक्षी के बयानों के अनुसार निम्न चोटें थीः–

''.......चुटैल के माथे में बांये तरफ सूजन थी और चुटैल ने कहा कि उसे बैक साइड में दर्द हो रहा है। मेरी राय में चुटैल को चोटे ठोस एवं कुंद वस्तु से आना संभव है।''

18. उक्त चिकित्सीय साक्ष्य के आलोक में यह तो स्पष्ट है कि दिनांक 01.07.2024 को चिकित्सीय परीक्षण के समय वादी मुकदमा/पीड़ित के माथे पर चोट मौजूद थी। बचाव पक्ष का तर्क है कि उक्त चोट वादी को शराब के नशे में स्वयं गिरने से कारित हुई हैं। इस सम्बन्ध में मेडिकल प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा तथाकथित घटना के तुरन्त बाद चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया है। चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा मदाक पदार्थ के सेवन किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क निराधार है। अब न्यायालय के समक्ष मुख्य अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या वादी मुकदमा को अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त उपहति कारित की गई है?

19. अभियोजन द्वारा तथाकथित घटना के संबंध में पी0डब्लू0–1 पवन पुनेठा जो कि वादी मुकदमा हैं एवं पी0डब्लू0–2 विकेश पुनेठा ,जो कि अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, को परीक्षित कराया गया है।

20. पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा/पीडित पवन कुमार पुनेठा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श–पी1 के रूप में साबित करते हुए मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि:–

> **"दिनांक 01.07.2024 को बंटी जो मेरी दुकान पर फोटोस्टेट इत्यादि करवाता था, मेरी दुकान के पास अपना चौपहिया वाहन खडाकर कहीं गया हुआ था। समय लगभग 10 बजे प्रातः 10 से 12 अज्ञात व्यक्ति बंटी की गाडी पर छेडछाड करने लगे तो मैने बंटी को फोनकर उसको सूचना दी कि 10–12 व्यक्ति तुम्हारी गाडी में छेडछाड कर रहे थे तो बंटी ने मुझसे फोन पर कहा कि मैं आ रहा हूं, तब तक तुम देखो, कौन है। बंटी के ऐसा कहने पर मैं बंटी के वाहन के पास गया तो हाजिर अदालत अभियुक्तगण हरीश सिंह दसौनी और दीपक मेहता और उसके साथ आये हुये 8–10 लोगो ने अचानक से मेरे उपर हमला कर दिया जब ये लोग मुझे मार रहे थे तो वहां पर उपस्थित मेरा भाई विकेश पुनेठा मुझे बचाने के लिये आया एवं मेरे भाई द्वारा उक्त घटना का विडियो अपने मोबाइल से बनाया गया तो इन लोगो ने मेरे भाई विकेश को भी जान से मारने की धमकी दी और विकेश का मोबाइल फोन व चश्मा भी तोड दिया। यह लोग मुझे मां बहन की मादरचोद, बहनचोद गालियां देते हुये और मारने लगे। जैसे ही मुझे बचने का मौका मिला, मैं इनसे बचकर वहां से आगे बैंड पर अपने मकान की ओर भाग गया और वहां से मैं अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिये थाना कोतवाली गया।''**
>
> तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि "
>
> **3. मेरी फोटोस्टेट की दुकान एआरटीओ आफिस के पास है। मैं दिनांक 01.07.2024 को जो घटना मेरे साथ घटित हुई थी, के लिये थाना कोतवाली रिपोर्ट दर्ज कराने गया था और उसी दिन पुलिस द्वारा मेरा मेडिकल कराया गया था और उसी दिन मेडिकल रिपोर्ट भी मिल गई थी............**
>
> **6. मेरे भाई के द्वारा घटना का विडियो बनाया गया था किंतु पत्रावली में संलग्न नहीं है। घटनास्थल पर 10–12 लोग हमला करने आये थे, घटनास्थल पर मैं उनको नहीं जानता था।**
>
> **7. दिनांक 01.07.2024 को बरसात नहीं हो रही थी, घटनास्थल डामर वाला रास्ता है। घटनास्थल से थाना कोतवाली की दूरी का समय 10 मिनट का है।**
>
> **8. मेरे द्वारा जो एफआईआर लिखा गया है उसमें कहीं भी मेरे द्वारा गाली गलौज की घटना नहीं लिखी गई है जो पत्रावली में कागज सं0 3क/4 है।**
>
> **9. मैं कभी कभी त्यौहारो में शराब पीता हूं, पुनः कहा कि मै नहीं पीता हूं। दिनांक 01.07.2024 को हमारा कोई त्यौहार नहीं था।**
>
> **10. यह कहना गलत है कि मुझे सडक पर गिरने से चोटें आई हों।**

21. पी0डब्लू0–2 **विकेश पुनेठा, जो** कि वादी मुकदमा का भाई है एवं तथाकथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, द्वारा अपनी साक्ष्य में तथाकथित घटना से सम्बन्धित वीडियो की पेन ड्राइव को कब्जा पुलिस लेने सम्बन्धित कार्यवाही की फर्द पर अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त की गई, तथाकथित घटना से सम्बन्धित वीडियो की पेन ड्राइव को वस्तु प्रदर्श एमओ–01 तथा उक्त वीडियो की प्रमाणिकता को साबित करने हेतु प्रदत्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63(4)(ग) के अधीन

प्रमाण पत्र एवं हैज वैल्यू प्रमाण पत्र को प्रदर्श–पी2 के रूप में साबित किया गया है तथा मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि:–

"1. दिनांक 01.07.2024 के दिन प्रातः 10 बजे मैं घर से अपने भाई पवन पुनेठा की दुकान आरटीओ आफिस के सामने से बाजार को आ रहा था तो मैने भाई की दुकान के समीप 10 से 15 लोगो की भीड देखी। मैं अपने भाई पवन पुनेठा की दुकान पर गया तो मुझे पवन द्वारा बताया गया कि बंटी नामक व्यक्ति एक लाल रंग का वाहन आल्टो के10 यूके05 टीए4046 लेकर आया है और यह लोग इस कार को ले जाने के लिये मुझसे बहस करने लगे। इतने में उन 10–15 लोगो में से एक व्यक्ति ने आल्टो वाहन का दरवाजा खोला। उक्त व्यक्ति के आल्टो वाहन का दरवाजा खोलने पर मेरे भाई द्वारा यह कहा गया कि बंटी आ रहा है, थोडा सा इंतजार कर लो। इतने में एक व्यक्ति दीपक मेहता और हरीश दशौनी इन दो व्यक्तियो ने मेरे भाई के उपर मुक्को से लगातार हमला करना शुरू कर दिया जिसकी विडियो मेरे द्वारा अपने फोन से बनाई गई। इतने में 10–15 व्यक्तियो के समूह में से किसी एक ने मेरे कान के पास में मारने की कोशिश करी जिससे मेरा चश्मा व मेरे हाथ से फोन गिरकर टूट गया। तत्पश्चात मेरा भाई अपनी जान बचाकर वहां से भागकर हमारे घर की ओर चला गया। थोडी देर बाद उसका फोन आया कि मैं कोतवाली जा रहा हूं, तू ताला लगा देना और कोतवाली की ओर ही आ जाना। कोतवाली पहुंचने पर 2 बजे के समीप मेरे भाई पवन को मेडिकल के लिये जिला चिकित्सालय ले जाया गया। इसके बाद लगभग दो दिन तक हमें पुलिस द्वारा गुमराह किया गया कि रिपोर्ट अभी लिख रहे हैं, थोडी देर में लिखेंगे। इतना सब होने के बाद दिनांक 03.07.2024 को हम दोनो भाई पुलिस उपाधीक्षक महोदय के पास गये जहां से दिनांक 03.07.2024 को ही हमें प्राथमिकी दर्ज करने की रिपोर्ट प्रदान की गई जिसमें मेरे द्वारा मेरे फोन व चश्मे का जिक किया गया है जिस पर पुलिस द्वारा यह बताया गया कि पेन ड्राइव से हमें यह विडियो दे दीजिए, फोन हम नही ले सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट में फोन का जिक नहीं है। तत्पश्चात मेरे द्वारा पुलिस के सामने फोन लेकर विडियो का एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। यह विडियो किसी भी प्रकार से कांट छांटकर नहीं बनाई गई है। मेरे द्वारा दी गई विडियो फुटेज की पेन ड्राइव को पुलिस ने कब्जे में लिया एवं फर्द बनाई जिसको पढकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

2............माननीय न्यायालय में पेन ड्राइव चलाने पर घटना से संबंधित विडियो चला जिसमें एक व्यक्ति पवन पुनेठा को कुछ लोग मारते हुए दिखाई दे रहें हैं।

3. आज माननीय न्यायालय में गवाह द्वारा अपना मोबाइल जिसके माध्यम से गवाह द्वारा घटना की विडियो बनाई गई, दाखिल किया जो विडियो बनाते समय उक्त लोगो द्वारा तोड दिया गया। मोबाइल पर वस्तु प्रदर्श एमओ03 अंकित किया गया।"

तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि "

4. मेरे गांव का नाम सिलपाटा है। घटनास्थल गांव में ही है। गांव के आबादी लगभग 500 है।

5. घटना के दिन मैं घटनास्थल पर मौजूद था। उक्त विडियो जो मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में पेश की गई है वह मेरे द्वारा मेरे फोन से बनाई गई।

6. मेरे द्वारा उक्त घटना का फोन के द्वारा आनलाईन एप के माध्यम से दिनांक 04.07.2024 को पुलिस से प्राप्त प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

7. मेरे द्वारा जिस मोबाइल से विडियो बनाई गई थी , विवेचक को नहीं दिया गया था। स्वयं कहा कि मैने मोबाइल देने की कोशिश की परंतु पुलिस द्वारा नहीं लिया गया।

8. मैं घटनास्थल पर कोई रोजगार नहीं करता हूं। मैं रोज की तरह उस रास्ते से आते जाते रहता हूं और उस दिन भी आया था।

9. मेरे द्वारा उक्त घटना की विडियो की विडियोग्राफी जिस मोबाइल से की गई थी उस मोबाइल को किसी फारेंसिक एक्सपर्ट को नहीं दिया गया था और न ही कोई प्रमाण पत्र लिया गया था।

10. यह कहना गलत है कि मैं अपने भाई के समर्थन में आज माननीय न्यायालय में गलत बयानी कर रहा हूं।
11. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा मोबाइल पर फोटो एडिट कर घटना से संबंधित विडियो बनाई हो।"

22. इस प्रकार पी0डब्ल्यु–2 के बयानों से विदित है कि उक्त साक्षी वादी मुकदमा का भाई है। साथ ही उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा के प्रस्तर संख्या–5 में कथन किया गया कि वह तथाकथित घटना की तिथि पर घटनास्थल पर मौजूद था। प्रतिपरीक्षा में कथित बयानों के आधार पर यह साबित होता है कि पी0डब्ल्यु–2 तथाकथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। पी0डब्ल्यु0–2 विकेश पुनेठा के बयानों से यह भी विदित है कि उसके द्वारा तथाकथित घटना की वीडियो अपने निजी मोबाइल से बनाई गई है। इस प्रकार पी0डब्ल्यु0–2 का निजी मोबाइल फोन एवं उससे बनाये गये वीडियो मामले में एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक साक्ष्य है।

23. उल्लेखनीय है कि जब भी किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख का उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63(4)(ग) के अधीन इलेक्ट्रानिक रिकार्ड की सामग्री को सिद्ध करना अनिवार्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63(4)(ग) का प्राथमिक उद्देश्य द्वितीयक साक्ष्य द्वारा प्रमाण को मान्यता देना है। इसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Arjun Panditrao Khotkar vs Kailash Kushanrao Gorantyal AIR 2020 SUPREME COURT 4908 के मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी जो कि वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63(4)(ग) है, की समीक्षा की गयी है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी की विरोधाभासी स्थितियों को स्पष्ट किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Shafhi Mohammad v. State of Himachal Pradesh (2018) 2 SCC 801 के फैसले को निरस्त करते हुए यह अवधारित किया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र इलेक्ट्रानिक रिकार्ड के माध्यम से साक्ष्य की संस्वीकृति के लिए एक पूर्व शर्त है। जैसा कि Anvar P.V. v. P.K. Basheer & Ors. के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है। उक्त निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि इलेक्ट्रानिक साक्ष्य मूल दस्तावेज के रूप में स्वयं न्यायालय के समक्ष में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4) के अधीन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वादी मुकदमा के साथ मारपीट किये जाने किये जाने सम्बन्धी गतिविधि का वीडियो पी0डब्ल्यु0–2 द्वारा अपने निजी मोबाइल फोन से बनाया गया था। अतः पी0डब्ल्यु–2 का निजी मोबाइल फोन वादी मुकदमा के साथ मारपीट किये जाने

किये जाने सम्बन्धी गतिविधि का मूल इलेक्ट्रानिक साक्ष्य है। प्रस्तुत प्रकरण में पी0डब्ल्यु–2 द्वारा अपना निजी मोबाइल फोन दिनांक 17.10.2025 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित होते समय प्रस्तुत करते हुए वस्तु प्रदर्श MO-3 के रूप में साबित किया गया। पत्रावली पर संलग्न पी0डब्ल्यु0–2 का मोबाइल फोन वस्तु प्रदर्श MO-3 को दौराने बहस स्वीच ऑन करने का प्रयास किया गया उक्त मोबाइल फोन कार्यशील स्थिति में नहीं था। इस प्रकार तथाकथित घटना का बनाया गया वीडियो को मूल दस्तावेज (मोबाइल फोन) के माध्यम से साबित नहीं किया गया है। अग्रेतर, अभियोजन द्वारा पी0डब्ल्यु0–2 विकेश पुनेठा द्वारा अपने निजी मोबाइल से बनाई गई तथाकथित घटना की वीडियो को पैन ड्राइव वस्तु प्रदर्श MO-1 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले में प्रस्तुत पैनड्राईव को साबित करने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(ग) के अधीन विहित शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है।

24. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण द्वारा पीडित/वादी मुकदमा के साथ मारपीट किये जाने किये जाने सम्बन्धी गतिविधि पी0डब्लू0–2 विकेश पुनेठा के निजी मोबाइल में रिकार्ड की गयी वीडियो को उक्त साक्षी के नियंत्रण में से पी0डब्ल्यु–5 विवेचनाधिकारी ए0एस0आई0 मो0 कासिम सिद्दकी द्वारा दौराने विवेचना प्राप्त की गयी है। साथ ही उक्त साक्षी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63(4)(ग) के अधीन प्रमाण पत्र एवं हैज वैल्यू प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। जिससे यह विदित है कि तथाकथित समय पर पी0डब्ल्यु0–2 के निजी मोबाईल में पीडित/वादी के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में रिकार्ड की गयी वीडियो में किसी प्रकार की छेडखानी, एडिटिंग आदि नहीं की गयी है।

25. दौराने बहस बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तथाकथित घटना की विडियो की पैनड्राईव को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु प्रेषित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अर्थात् पैनड्राईव वस्तु प्रदर्श MO-1 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63(4)(ग) के तहत आवश्यक वैधानिक प्रमाणपत्र के साथ अभियोजन साक्ष्य के दौरान विधिवत प्रमाण पत्र के साथ विधिवत प्रदर्शित (Exhibited) और स्वीकार किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रानिक अभिलेख को साक्ष्य के रूप में चिन्हित करने और अभिलेख में स्वीकार किये जाने से पहले बचाव पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी। बचाव पक्ष द्वारा इलेक्ट्रानिक अभिलेख को साबित करने वाले साक्षी पी0डब्ल्यु0–2 से प्रतिपरीक्षा के दौरान वीडियो में एडिटिंग किए जाने सम्बन्धी प्रश्न पूछा गया। किन्तु

साक्षी द्वारा उक्त प्रश्न को दृढ़ता से अस्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई ठोस एवं तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे वस्तु प्रदर्श MO-1 में संरक्षित वीडियो की प्रमाणिकता संदेहास्पद होती हो। तद्नुसार बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार्य नहीं है।

26. इस प्रकार तथाकथित घटना के सम्बन्ध में पी0डब्ल्यु0–2 विकेश पुनेठा द्वारा अपने निजी मोबाईल से बनाई गई वीडियो को पैन ड्राइव में डाउनलोड कर विवेचक को प्रदान की गयी। उक्त कार्यवाही का समस्त विवरण फर्द प्रदर्श पी–2 में अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि तथाकथित घटना की वीडियो को विवेचक द्वारा पी0डब्ल्यु0–2 से प्राप्त कर विवेचना में सम्मिल्लित किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में इलेक्ट्रोनिक अभिलेख (पैन ड्राइव वस्तु प्रदर्श MO-1) की सामग्री को अभियोजन द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63(4)(ग) में निहित प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साबित किया गया है। अतः वीडियो फुटेज की विश्वसनीयता पर भरोसा न किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण उपलब्ध नहीं है।

27. न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध पैन ड्राइव वस्तु प्रदर्श MO-1 में संरक्षित वीडियो का अवलोकन किया गया, जिसमें अभियुक्त संख्या 1 एवं 2 समय 00:02 से 00:05 (वीडियो के चालू समय) तक पीडित/वादी को थप्पड मारते हुए स्पष्टतया दिखाई दे रहे है। इस प्रकार पी0डब्ल्यु0–1 एवं पी0डब्ल्यु0–2 के मौखिक साक्ष्य तथा इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य पैन ड्राइव वस्तु प्रदर्श MO-1 तथाकथित घटना की सम्पूर्ण श्रृंखला को पूर्ण करतें हैं एवं अभियुक्तगण की तथाकथित अपराध में संलिप्तता को साबित करता है।

28. अग्रेतर, पी0डब्ल्यु0–1 वादी मुकदमा घटना की प्रत्यक्षदर्शी और घायल साक्षी दोनों है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के अनुसार, एक चोटिल गवाह का साक्ष्य अत्यंत उच्च विश्वसनीयता रखता है क्योंकि वह स्वयं उस पीड़ा से गुजरा है। इसके अतिरिक्त पी0डब्ल्यु0–1 व 2 द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है तथा बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षीगण से विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गयी किन्तु ऐसा तथ्य उभरकर नहीं आया जो कि उक्त साक्षीगण की विश्वसनीयता को खण्डित करता हो। अग्रेतर अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही जो कि यह स्थापित करता हो कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी एवं स्वयं वादी अभियुक्तगण के प्रति पक्षपाती (Bias) हो या अभियुक्तगण के विरूद्ध रंजिशन साक्ष्य प्रस्तुत कर रहें हो। इस प्रकार पीड़ित/पी0 डब्ल्यु0–1 व 2 के बयान पूरी तरह से सुसंगत, प्राकृतिक और विश्वसनीय है। पी0डब्ल्यु0–2 द्वारा

अभियुक्तगण को पीडित के साथ मारपीट करते हुए देखा गया है तथा उसके द्वारा मारपीट किये जाने की वीडियो को अपने निजी मोबाइल से रिकार्ड किया गया है एवं पीडित की उपहति को चिकित्सकीय साक्षी द्वारा साबित किया गया है एवं चिकित्सकीय साक्ष्य में यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा पीडित के साथ मारपीट कर उपहति कारित की गयी है। पीडित **के माथे में बांये तरफ सूजन थी** जो स्पष्ट दर्शाता है कि अभियुक्तगण द्वारा पीडित के साथ मारपीट करने से उसे उपहति कारित हुई।

29. यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा पी0डब्ल्यु0–6 त्रिभुवन चन्द्र भटट, मैनेजर चोलामण्डलम फाइनेन्स कम्पनी पिथौरागढ को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। यहां पर पी0डब्ल्यु0–6 त्रिभुवन चन्द्र भटट के बयानों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि

"1. मै विगत चार वर्षो से चोलामण्डम फांईनेन्स कम्पनी पिथौरागढ मे मैनेजर के पद पर कार्यरत हूॅ। दिनांक 01.07.2024 को मै आई टी0 ओ0 कार्यालय पिथौरागढ मे किसी वाहन को टान्सफर करने गया था। मै आई0 टी0 ओ0 आफिस के पास काफी भीड थी भीड मे मेरे कार्यालय के कर्मचारी थी मैने अपने कार्यालय के कर्मचारियो से पता किया तो पता चला कि हमारे कम्पनी से फाईनेन्स किया गया अल्टो कार संख्या–यू0 के0 05 –टी0 ए0 4046 वाहन स्वामी श्रीमती दीपा देवी के वाहन का सरेन्डर प्रत्यावेदन करने के कारण कर्मचारी वाहन का अधिग्रहण करने आये थे। अधिग्रहण के दौरान मारपीट हो गयी है।
2. बाद मे मुझे पता चला की हमारे कर्मचारी दीपक मेहता के विरूद्ध उक्त मारपीट के संबन्ध मे मुकदमा हो गया है। उक्त घटना की सी0 सी0 टी0 बी फुटेज वायरल हो गयी थी मैने भी वायरल वीडियो देखी थी। जिसमे मैने देखा था कि हमारे कर्मचारी हरीश व दीपक मेहता हाथापाई कर रहे है। पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या–17क/3 सीलबन्ध लिफाफा जिस पर पूर्व से वस्तु प्रदर्श एम0 ओ 02 अंकित है को मान्नीय न्यायालय की अनुमति से खोला गया जिसे खोलने पर एक लाल–काला रंग का 16 जी0 वी का सैन्डडिस्क कम्पनी का पैन डाईव निकला। जिसे मान्नीय न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के सिस्टम मे चलाया गया। विडियो मे एक व्यक्ति को हमारे आफिस मे कार्यरत परपल शर्ट व काला पैन्ट पहने हुये दीपक मेहता तथा आसमानी शर्ट व ग्रे पैन्ट पहने हुये हरीश सिंह मारते हुये दिखायी दे रहे है। दीपक मेहता व हरीश सिंह को मै भली भाति पहचानता हूॅ क्योकि यह हमारे आफिस के ही कर्मचारी है।
तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि

"3. मै तथाकथित घटना के दिन दिनांक 1.07.2024 को आई0 टी0 ओ0 आफिस मे किसी गाडी के टान्सफर के संबन्ध मे गया था। आई टी0 ओ0 आफिस हम दो लोग गये थे।
4. वाहन स्वामी दीपा देवी ने अपना सरेन्डर पत्र दिया था तथा दीपा देवी के नाम से कम्पनी की ओर से कई बार ऐरियर नोटिस भेजा गया।
5. उक्त घटना को मेरे द्वारा अपनी आखो से नही देखा गया लेकिन घटना के बारे मे मैने सुना स्वय कहा कि मैने बाद मे वायरल विडियो मे देखा।
6. जिस व्यक्ति से मैने मौके पर घटना के संबन्ध मे सुना उसका नाम मै नही बता सकता हूॅ।
7 मेरे द्वारा थाने मे कोई गवाही नही दी गयी।

8. दिनांक 25 सितम्बर 2024 को मै कहा था मुझे याद नही है।
9. मुझे थाने मे कोई विडियो नही दिखाया गया था। स्वय कहा कि मैने घटना को वायरल विडियो मे देखाा था।

30. उपरोक्त साक्षी के बयानों के अवलोकन से विदित है कि उक्त साक्षी तथाकथित घटना को घटित होते हुए नहीं देखा गया है। किन्तु उक्त साक्षी के बयानों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि दिनांक 01.07.2024 को चोला मण्डल फाइनेंस कम्पनी पिथौरागढ से फाइनेंस किए गए वाहन संख्या यू0के0 05 टी0उ0 4046 वाहन का अधिग्रहण करने हेतु चोलामण्डलम फाइनेन्स कम्पनी के कर्मचारी घटनास्थल पर गए थे तथा तथाकथित घटना की पैन ड्राईव वस्तु प्रदर्श MO-1 में संरक्षित वीडियो को न्यायालय में देखने पर अभियुक्तगण की पहचान सुनिश्चित की है।

31. बचाव पक्ष का तर्क है कि उक्त साक्षी अभियुक्तगण का सहकर्मी है तथा रंजिशन उसके खिलाफ बयान दे रहा है, किन्तु बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे पी0डब्ल्यु0–6 एवं अभियुक्तगण के मध्य शत्रुता साबित होती हो और न ही बचाव पक्ष द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षा रंजिश के सम्बन्ध में कोई सुझाव एवं प्रश्न पूछा गया। अतः बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार्य नहीं है।

32. आमतौर पर देखा गया है कि वाहन वित्तीय कम्पनियों द्वारा ऋण वसूली एवं वाहन जब्ती हेतु नियुक्त कर्मचारी/ऐजन्ट द्वारा ऋणदाता (Borrowers) के साथ अभद्र व्यवहार और बलपूर्वक वाहन की जब्ती की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर यह निर्देशित किया गया है कि वित्तीय कम्पनियों (Finance Companies) के कर्मकारों द्वारा वाहन जब्ती के सम्बन्ध में बल प्रयोग किया जाना पूर्णतः गैर कानूनी है। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अभियुक्त संख्या 1 व 2 चोला मण्डल फाइनेन्स कम्पनी के कर्मचारी है एवं वादी मुकदमा द्वारा उसके प्रतिष्ठान के बाहर खडे वाहन संख्या यू0के0 05 टी0ए0 4046 को अधिग्रहण करने में विरोध करने पर अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा को उपहति कारित की गयी है। इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचना के उपरान्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पीडित साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के आधार यह तथ्य साबित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 01.07.2024 को समय 12:30 बजे स्थान तडीगांव मार्ग निकट सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पिथौरागढ में वादी मुकदमा पवन पुनेठा के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। परिणामस्वरूप, अभियुक्तगण के विरूद्ध बी0एन0एस0 की धारा–115(2) के अधीन दण्डनीय अभियोग बखूबी साबित होता है।

33. बचाव पक्ष का तर्क है कि वादी मुकदमा द्वारा तथाकथित घटना दिनांक

01.07.2024 को घटित होना अभिकथित है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.07.2024 को दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराये जाने के कारण तथाकथित सम्पूर्ण कथानक संदेहास्पद है। उक्त तर्क के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा तहरीर प्रदर्श पी–1 में वादी मुकदमा द्वारा अपने हस्ताक्षर के नीचे 01.07.2024 की तिथि अंकित की गयी है। साथ ही पी0डब्ल्यु0–1 व 2 द्वारा मुख्य परीक्षा में तथाकथित घटना दिनांक 01.07.2024 को घटित होने का कथन किया गया है। इसी क्रम में पी0डब्ल्यु0–1 के बयानों में आया है कि ''......**जैसे ही मुझे बचने का मौका मिला, मैं इनसे बचकर वहां से आगे बैंड पर अपने मकान की ओर भाग गया और वहां से मैं अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिये थाना कोतवाली गया। थाना कोतवाली से मुझे मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया।''** उक्त साक्षी के बयानों से स्पष्ट है कि तथाकथित घटना घटित होने के उपरान्त तुरंत बाद वादी मुकदमा थाना कोतवाली पिथौरागढ गया एवं थाना कोतवाली पिथौरागढ से वादी मुकदमा को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ ले जाया गया। पत्रावली पर संलग्न मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 एवं पी0डब्ल्यु0–4 डॉ0 देवेन्द्र सिंह महर के बयानों के अवलोकन से से स्पष्ट है कि दिनांक 01.07.2024 को समय दोपहर 02:25 पर है0का0 गंगा सिंह वादी मुकदमा/चुटैल पवन कुमार पुनेठा को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय पिथौरागढ लेकर गई थी। इस प्रकार स्पष्टतया तथाकथित घटना दिनांक 01.07.2024 को घटित हुई एवं तथाकथित घटना के उपरान्त वादी मुकदमा सर्वप्रथम थाना कोतवाली पिथौरागढ गया और थाने में तहरीर प्रस्तुत की गयी तथा थाना कोतवाली पिथौरागढ द्वारा ही वादी मुकदमा का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अग्रेत्तर पी0डब्ल्यु0–2 विकेश पुनेठा द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि **''तत्पश्चात मेरा भाई अपनी जान बचाकर वहां से भागकर हमारे घर की ओर चला गया। थोडी देर बाद उसका फोन आया कि मैं कोतवाली जा रहा हूं, तू ताला लगा देना और कोतवाली की ओर ही आ जाना। कोतवाली पहुंचने पर 2 बजे के समीप मेरे भाई पवन को मेडिकल के लिये जिला चिकित्सालय ले जाया गया। इसके बाद लगभग दो दिन तक हमें पुलिस द्वारा गुमराह किया गया कि रिपोर्ट अभी लिख रहे हैं, थोडी देर में लिखेंगे। इतना सब होने के बाद दिनांक 03.07.2024 को हम दोनो भाई पुलिस उपाधीक्षक महोदय के पास गये जहां से दिनांक 03.07.2024 को ही हमें प्राथमिकी दर्ज करने की रिपोर्ट प्रदान की गई।''** अर्थात् वादी मुकदमा द्वारा तथाकथित घटना घटित होने के तुरंत बाद अपने तहरीर दिनांक 01.07.2024 को ही थाना कोतवाली

पिथौरागढ में प्रस्तुत की गयी तथा थाना कोतवाली द्वारा दिनांक 03.07.2024 को वादी मुकदमा की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। जिससे स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करवाने में कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया। तद्नुसार बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार्य नहीं है।

34. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत है विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण की पहचान को स्पष्ट करने हेतु शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पहचान परेड जांच के चरण से सम्बन्धित है। प्रक्रियात्मक विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विवेचनाधिकारी को शिनाख्त परेड हेतु बाध्य करती हो। विधि इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि शिनाख्त परेड (TIP) आयोजित न होने से न्यायालय में प्रथम बार अभियुक्त की शिनाख्त (पहचान) का साक्ष्य अस्वीकार्य नहीं है। तथाकथित घटना दोपहर के समय की है, तत्समय पूर्ण रोशनी उपलब्ध थी। इस प्रकार वादी मुकदमा के पास पूर्ण अवसर था कि वह दिन के उजाले में अभियुक्तगण की स्पष्टतया पहचान कर सकता था। वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण की शिनाख्त की गयी है। पी0डब्ल्यू0–1 के बयानों में आया है कि **"......बंटी के ऐसा कहने पर मैं बंटी के वाहन के पास गया तो हाजिर अदालत अभियुक्तगण हरीश सिंह दसौनी और दीपक मेहता और उसके साथ आये हुये 8–10 लोगो ने अचानक से मेरे उपर हमला कर दिया।"** इस प्रकार वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण की पहचान सुनिश्चित की गयी है। इसके अतिरिक्त पी0डब्ल्यु0–2 विकेश पुनेठा जो कि तथाकथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि **''इतने में एक व्यक्ति दीपक मेहता और हरीश दशौनी इन दो व्यक्तियो ने मेरे भाई के उपर मुक्को से लगातार हमला करना शुरू कर दिया जिसकी विडियो मेरे द्वारा अपने फोन से बनाई गई।"** इस प्रकार पी0डब्ल्यु–2 द्वारा वादी मुकदमा के साथ मारपीट करने वाले अभियुक्तगण का नाम स्पष्टतया अपने बयानों में उल्लेखित किया गया है। जिससे प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा के साथ घटित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता युक्ति युक्त संदेह से परे साबित होती है। तद्नुसार बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार्य नहीं है।

35. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि कि अभियोजन साक्षीगण के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/वादी मुकदमा एवं अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण द्वारा तथाकथित घटना के संबंध में मुख्य तथ्यों का अपने बयानों में समर्थन किया गया है तथा अभियोजन

कथानक के सार का पूर्ण समर्थन किया गया है। हांलाकि अभियोजन साक्षीगण द्वारा दिये गये बयानों में तथाकथित घटना के समय उपस्थित व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में भिन्नता है, मामलें में काफी समय बीत जाने अथवा स्मृति की क्षति एवम् अंसख्य कारकों के परिणामस्वरूप साक्षियों के कथनों में विसंगति आनी स्वभाविक है। साक्षीगण के बयानों मे आयी विसंगतियां इस प्रकृति की नहीं है जो मामलें के मुख्य तथ्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हो या अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न करते हों। इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा उठाये गये तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

36. जहां तक अभियुक्तगण पर बी0एन0एस0 की धारा 352 के अधीन दण्डनीय अभियोग अधिरोपित किए जाने का प्रश्न है तो, उक्त धारा 352 प्रावधानित करती है कि:—

> **<u>352. लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान —</u> जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।**

37. उक्त धारा का उद्देश्य गाली—गलौज तथा अपमानकारी शब्दों के विरूद्ध उपचार प्रदान करना है। इस धारा के अधीन किए गए अपराध हेतु अभियोजन को यह दर्शित करना होता है कि अभियुक्तगण द्वारा किन शब्दों का प्रयोग करते हुए वादी मुकदमा का साशय अपमान किया गया है, तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को अपमानित करने के आशय से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जो शब्द ऐसी प्रकृति के थे, जिनसे वादी मुकदमा का अपमान हुआ हो, जिसके परिणामस्वरूप प्रकोपित होकर वादी मुकदमा द्वारा शांन्ति भंग किये जाने तथा अपराध किये जाने की सम्भावना हो।

38. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में पी0डब्ल्यु0—1 वादी मुकदमा/पीडित पवन कुमार पुनेठा द्वारा मौखिक साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा उसे अपमानजनक गालियां देने का कथन किया गया है। उपरोक्त विवेचना में यह स्पष्ट हो चुका है कि पी0डब्ल्यु0—2 विकेश पुनेठा घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, के द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा पीडित/वादी मुकदमा के साथ किसी प्रकार की गाली गलौच अथवा अपमानजनक गालियां देने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। इस प्रकार पी0डब्ल्यु0—2 के मौखिक साक्ष्य से पी0डब्ल्यु0—1 वादी मुकदमा/पीडित पवन कुमार पुनेठा के बयानों की पुष्टि नहीं होती है।

39. इसके अतिरिक्त बी0एन0एस0 की धारा 352 के गठन हेतु जो व्यक्ति अपमान करता है उसका यह आशय होना चाहिये या उसे जानकारी होनी चाहिये कि उसके कृत्य से उपरोक्त प्रकृति का प्रकोपन कारित होगा। अभियुक्तगण के अपेक्षित आशय तथा वादी मुकदमा को प्रकोपन कारित होने या उसके द्वारा शान्ति भंग किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उक्त धारा में अपेक्षित तत्व अभियोजन सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण धारा बी0एन0एस0 की धारा 352 के अधीन दोषसिद्ध किए जाने योग्य नहीं है।

38. अग्रेतर अभियुक्तगण पर बी0एन0एस0 की 351(2) के अधीन दण्डनीय अभियोग अधिरोपित किया गया है। बी0एन0एस0 की धारा 351(2) प्रावधानित करती है किः—

351. आपराधिक अभित्रास—
(1) …………
(2) जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

41. उक्त धारा के अधीन वर्णित अपराध के गठन हेतु आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से हितबद्ध किसी व्यक्ति के शरीर ख्याति या सम्पत्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति कारित करने की धमकी दी गई हो और ऐसी धमकी इस आशय से दी गई हो कि जिससे पीड़ित व्यक्ति को संत्रास कारित किया जाये। माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा विधि निर्णयों में अवधारित किया गया है कि मात्र शब्दों का प्रयोग कर (शाब्दिक धोंस देना) इस तथ्य को साबित नहीं करती है कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को संत्रास कारित किया गया। न्यायालय के समक्ष परिक्षित होते समय पीडित/ पी0डब्ल्यु0—1 के बयानों में आया है कि **''मेरा भाई विकेश पुनेठा मुझे बचाने के लिये आया एवं मेरे भाई द्वारा उक्त घटना का विडियो अपने मोबाइल से बनाया गया तो इन लोगो ने मेरे भाई विकेश को भी जान से मारने की धमकी दी।''** जबकि पी0डब्ल्यु0—2 विकेश पुनेठा, जो कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, के द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा पीडित/वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। इस प्रकार पी0डब्ल्यु0—2 के मौखिक साक्ष्य से पी0डब्ल्यु0—1 वादी मुकदमा/पीडित पवन कुमार पुनेठा के बयानों की पुष्टि नहीं होती है। जिससे अभियुक्तगण पर अधिरोपित मूल अभियोग सिद्ध नहीं होता है। जिससे इस तथ्य के सम्बन्ध में युक्तियुक्त संन्देह उत्पन्न होता है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को आपराधिक अभित्रास किया गया हो।

परिणामस्वरूप अभियुक्तगण के विरूद्ध बी0एन0एस0 की धारा–351(2) के अधीन दण्डनीय अभियोग साबित नहीं होता है।

42. उपरोक्त समस्त विवेचना के उपरान्त न्यायालय का यह अपरिहार्य निष्कर्ष है कि अभियोजन द्वारा अभिलेखीय तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा/पीडित को साशय अपमानित करते हुए आपराधिक अभित्रास किया गया हो। तद्नुसार अभियुक्तगण दीपक मेहता व हरीश सिंह अन्तर्गत धारा 351(2), 352 बी0एन0एस0, 2023 के अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अग्रेत्तर, अभियोजन अभिलेखीय तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध यह तथ्य साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक **01.07.2024 को** अभियुक्तगण द्वारा पीडित के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। अतः अभियुक्तगण दीपक मेहता व हरीश सिंह अन्तर्गत धारा 115(2) बी0एन0एस0, 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बंधपत्र और प्रतिभू बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण दीपक मेहता व हरीश सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु कुछ समय उपरान्त पेश हो।

<u>दिनांक–12.08.2026</u>

(सुमन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़।

<u>कुछ समय उपरान्त</u> –

43. पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व विद्वान लोक सहायक अभियोजक श्री रितेश वर्मा को सुने जाने हेतु प्रस्तुत। अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण द्वारा कहा गया कि वे परिवार के अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं। अतः उन्हें कम से कम सजा से दण्डित किया जाये तथा परिवीक्षा पर छोड़ा जाये।

44. विद्वान लोक सहायक अभियोजक श्री रितेश वर्मा की ओर से तर्क दिया गया कि दिनांक 01.07.2024 को अभियुक्तगण द्वारा पीडित के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। अतः अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

45. अभियुक्तगण दीपक मेहता व हरीश सिंह द्वारा दिनांक 01.07.2024 को वादी मुकदमा पवन कुमार पुनेठा के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी है। अभियुक्तगण का कृत्य किसी तत्कालिक उत्तेजना एवं भूल का परिणाम

नहीं है। वाहन जब्ती की आड में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुदकमा को सार्वजनिक स्थान पर उपहति कारित की गयी। अतः प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ प्रदान किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

आदेश

46(i). फौजदारी वाद संख्या 659/2025 मु0अ0सं0 111/2024 में अभियुक्त दीपक मेहता व हरीश सिंह को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–115(2) के दण्डनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।

46(ii) अभियुक्त दीपक मेहता को धारा– 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के आरोप में दोषसिद्ध करते हुये 06 (छः) माह के साधारण कारावास की सजा एवम् मु0. 5,000/– (पॉच हजार) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा करने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त पॉच दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगेगा।

46(iii) अभियुक्त हरीश सिंह को धारा– 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के आरोप में दोषसिद्ध करते हुये 06 (छः) माह के साधारण कारावास की सजा एवम् मु0. 5,000/– (पॉच हजार) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा करने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त पॉच दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगेगा।

46(iv) फौजदारी वाद संख्या 659/2025 मु0अ0सं0 111/2024 में अभियुक्त दीपक मेहता व हरीश सिंह को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–351(2) व 352 के अधीन दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

46(v) अभियुक्त दीपक मेहता व हरीश सिंह द्वारा इस मामले के अन्वेषण, जांच एवम् विचारण के दौरान यदि जेल में कोई अवधि व्यतीत की गयी तो वह अवधि धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार मूल कारावास के दण्डादेश में समायोजित की जायेगी।

46(vi) अभियुक्त दीपक मेहता व हरीश सिंह को न्यायालय द्वारा अवगत कराया गया है कि उसे इस निर्णय (Judgement) तथा दण्डादेश (Sentence) के विरूद्ध अपील दायर करने का अधिकार प्राप्त है।

46(vii) इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्त दीपक मेहता व हरीश सिंह को तत्काल निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये।

46(viii) निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ को भेजी जाये।

(सुमन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़।

46(ix) अभियुक्त दीपक मेहता व हरीश सिंह का सजायावी वारण्ट बनाकर उसे संबंधित कारागार को प्रेषित किया जाये।

दिनांक–12.08.2026

(सुमन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़।

47. यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–12.08.2026

(सुमन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़।

PROSECUTION

Chart of Witnesses: ***Annexure 'A'***

साक्षी कमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्ल्यू–1	पवन कुमार पुनेठा	वादी मुकदमा / पीडित
पी0डब्ल्यू–2	विकेश पुनेठा	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी / पीडित
पी0डब्ल्यू–3	है0का0 बलवन्त सिंह	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
पी0डब्ल्यू–4	डॉ0 देवेन्द्र सिंह महर	चिकित्सकीय साक्षी
पी0डब्ल्यू–5	ए0एस0आई0 मो0 कासिम सिददकी	विवेचक
पी0डब्ल्यू–6	त्रिभुवन चन्द्र भटट	तथ्य का साक्षी
पी0डब्ल्यू–7	रोहित सिंह खडायत	तथ्य का साक्षी
पी0डब्ल्यू–8	अजीम परवेज	तथ्य का साक्षी

Chart of Exhibited Documents: ***Annexure 'B'***

प्रदर्श कमांक	प्रदर्श का विवरण	प्रमाणित किया
प्रदर्श पी–1	तहरीर	पी0डब्ल्यू–1
प्रदर्श पी–2	फर्द	पी0डब्ल्यू–2
प्रदर्श पी–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0डब्ल्यू–3
प्रदर्श पी–4	जी0डी0 संख्या 65	पी0डब्ल्यू–3
प्रदर्श पी–5	मेडिकल रिपोर्ट	पी0डब्ल्यू–4
प्रदर्श पी–6	सप्लीमेंट्री रिपोर्ट	पी0डब्ल्यू–4
प्रदर्श पी–7	नक्शा नजरी	पी0डब्ल्यू–5
प्रदर्श पी–8	फर्द	पी0डब्ल्यू–5
प्रदर्श पी–9	नमूना मोहर	पी0डब्ल्यू–5
प्रदर्श पी–10	आरोप पत्र	पी0डब्ल्यू–5

Chart of Material Objects / Muddamals: ***Annexure 'C'***

वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित किया
वस्तु प्रदर्श एम0ओ0–1	पैन ड्राइव सैनडिस्क	पी0डब्लू0–2
वस्तु प्रदर्श एम0ओ0–2	सफेद लिफाफा	पी0डब्लू0–2
वस्तु प्रदर्श एम0ओ0–3	मोबाइल	पी0डब्लू0–2

DEFENCE

Chart of Witnesses: ***Annexure 'D'***

Defence Witness No.	*Name of Witness*	*Brief Description / Role of Witness*
-------	-------	-------

Chart of Exhibited Documents: ***Annexure 'E'***

(सुमन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़।

Exhibit No.	*Description of Exhibit*	*Proved by / Attested by*
-------	-------	-------

Chart of Material Objects / Muddamals: ***Annexure 'F'***

Material Object No.	*Description of the Exhibit*	*Proved by / Attested by*
-------	-------	-------

Dictated on : 12-08-2026
Transcribed on : 12-08-2026
checked on : 12-08-2026
Signed on : 12-08-2026

दिनांक—12.08.2026

(सुमन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़।

Visit **ecourts.gov.in** for updates or download mobile app "**eCourts Services**" from Android or iOS